न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2021/110

रामसिंह पुत्र मगना जाति भील ठाकुर निवासी निमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

1. देवीलाल पुत्र स्व. श्री किशनलाल जाति भील ठाकुर निवासी निमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
2. कालूलाल पुत्र स्व. श्री किशनलाल जाति भील ठाकुर निवासी निमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
3. रोशनलाल पुत्र स्व. श्री किशनलाल जाति भील ठाकुर निवासी निमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
4. प्रेमचन्द पुत्र स्व. श्री किशनलाल जाति भील ठाकुर निवासी निमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
5. राधा बाई पुत्री स्व. श्री किशनलाल जाति भील ठाकुर निवासी निमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
6. सरदार बाई पत्नी स्व. श्री किशनलाल जाति भील ठाकुर निवासी निमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
7. मदन पुत्र स्व. श्री किशनलाल जाति भील ठाकुर निवासी निमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)। मृतक कायम मुकाम–
   7/1. भैरू पुत्र स्व. श्री मदन
   7/2. भाया पुत्र स्व. श्री मदन
   7/3. कौशल्या पुत्री स्व. श्री मदन
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी, कोटा (राज0)।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस–(1). सुधीन्द्र यादव– अधिवक्ता अपीलांट

(2). रामबाबू मालव– रेस्पोडेन्ट कम 01 से 06

निर्णय दिनांक 26.06.2023

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 225 राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 60/2020 मे पारित निर्णय दिनांक 05.03.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पो0 ने मूलवाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि माल ग्राम निमाना पटवार हल्का पीपाखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा मे प्रार्थीगण रेस्पोन्डेन्टगण के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की खसरा नं. 573 की रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 574 की रकबा 0.50 है0 कुल किता 2 की 0.55 है0 0.55 है0 कृषि भूमि स्थित है जो कि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति है। उक्त भूमि पर प्रार्थी रेस्पोन्डेन्टगण बहैसियत मालिक काबिज चले आ रहे है, तथा भूमि के राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 मे उक्त भूमि प्रार्थी रेस्पोन्डेन्टगण के खाते दर्ज रही है। सहखातेदार मोहन पुत्र किशनलाल की मृत्यु हो जाने के बाद उसका फौती नामान्तरण 487 दिनांक 20.07.2015 के आधार पर उसके वारिसान प्रार्थीगण रेस्पोन्डेन्टगण कम 2 लगायत 6 का नाम दर्ज किया गया था। उपरोक्त भूमि बदस्तूर प्रार्थीगण रेस्पोन्डेन्टगण के संयुक्त खाते में दर्ज रही है। उक्त भूमि को प्रार्थीगण रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा किसी दीगर व्यक्ति को रहन अथवा बैय या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित नही किया गया है और हल्का पटवारी द्वारा जारी ग्राम निमाना पटवार हल्का पीपाखेडी के राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 में प्रार्थीगण रेस्पोन्डेन्टगण के संयुक्त खाते मे दर्ज रही है। खसरा नं. 573 की 0.05 है0, खसरा नं. 574 की रकबा 0.50 है0 कुल किता 2 की रकबा 0.55 है0 भूमि के राजस्व अभिलेख खतौनी जमाबंदी की नकल खाता संख्या नई 277 पुरानी 93 जो हल्का पटवारी ग्राम निमाना पटवार हल्का पीपाखेडी द्वारा जारी की गई है एवं कम्प्यूटराईज्ड राजस्व अभिलेख खतौनी जमाबंदी खाता संख्या नया 297 पुराना 277 मे भूमि के काश्तकार के नाम के कॉलम में प्रार्थी रेस्पोन्डेन्टगण के नाम के स्थान पर ष्रामसिंह पुत्र मगना जाति भील ठाकुर सा. देह नामा. नं. 285ष् दर्ज कर दिया है। हल्का पटवारी ने त्रुटिवश प्रार्थीगण को उनकी भूमि के राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 में प्रार्थीगण का नाम हटाकर प्रार्थी रेस्पोन्डेन्टगण के नाम के स्थान पर रामसिंह पुत्र मगना जाति भील ठाकुर का नाम दर्ज कर दिया जिससे उक्त भूमि राजस्व कर्मचारीयो की त्रुटिवश रामसिंह पुत्र मगना भील ठाकुर के नाम पर दर्ज हो गई है जो कि त्रुटिपूर्ण अभिलेख है। तथा नामान्तरण नं. 285 ग्राम निमाना किसी प्रकार के विकय पत्र का नामान्तरकरण नही होकर उक्त नामान्तरकरण अप्रार्थी अपीलांट कम 1 के हक मे उसके भाई व बहनो द्वारा उनके संयुक्त खाते की खसरा नं. 726, 727, 728 की कुल किता 3 की एकबा 1.30 है0 भूमि मे दर्ज रहे उनके नाम के पंजीकृत हक त्याग पत्र का नामान्तरण दर्ज कर स्वीकृत किया

गया था। उक्त नामान्तरण के आधार पर अप्रार्थी अपीलांट कम 1 के हक में प्रार्थी रेस्पोन्डेन्टगण के संयुक्त खाते की खसरा नं. 726 727. 728 की भूमि अप्रार्थी अपीलांट कम 1 के नाम दर्ज कर दी गई है। उसके बाद अप्रार्थी अपीलांट कम 1 द्वारा उक्त भूमि को विक्रय भी किया जा चुका है। यह कि हल्का पटवारी राजस्व कर्मचारीयों की लापरवाही की वजह से ग्राम निमाना का राजस्व अभिलेख संवत् 2072 से 2075 त्रुटिपूर्ण हो चुका है जिसकी वजह से प्रार्थी रेस्पोन्डेन्टगण उनके खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि के खातेदारी अधिकारो से वंचित हो गये है उनकी खातेदारी भूमि को राजस्व कर्मचारीयों द्वारा लापरवाही पूर्वक दीगर व्यक्ति अप्रार्थी अपीलांट कम 1 के खाते दर्ज कर दी गई है। तथा उपरोक्त त्रुटिपूर्ण राजस्व अभिलेख का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी अपीलांट कम 1 बाद पत्र की मद नं. 1 मे वर्णित प्रार्थी रेस्पोन्डेन्टगण के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि को दीगर व्यक्तियो को विक्रय या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है जिसका अप्रार्थी अपीलांट कम 1 को कोई अधिकार प्राप्त नही है। अतः प्रार्थी रेस्पोन्डेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में यह वाद प्रस्तुत किया कि उक्त भूमि पर अप्रार्थी अपीलांट कम 1 का नाम खाते से खारिज करवाकर प्रार्थी रेस्पोन्डेन्टगण का नाम दर्ज करवाया जाए तथा साथ ही अप्रार्थी अपीलांट कम 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने कि वह प्रार्थना पत्र की उक्त वर्णित आराजी को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को रहन बैय अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित नही करे। प्रार्थी रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा माह जुलाई 2020 मे किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु पटवारी से नकल निकलवाने पर उक्त जमाबंदी अप्रार्थी अपीलांट कम 1 के नाम दर्ज पाये जाने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अन्त मे प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष मे होना बताते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आ ाय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 2 मे वर्णित आराजी को अप्रार्थी संख्या 1 किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बैय या अन्य प्रकार से हस्तांतरित न तो स्वयं करे न किसी अन्य व्यक्ति से करावें।

3. उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी जाकर दिनांक 05.03.21 को प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंशतः स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ग्राम निमाना की भूमि खसरा नं0 573, 574 किता 2 रकबा 0.55 हे0 में रिकार्ड व मौके की यथास्थिति मूलवाद में निस्तारण पर्यन्त बनाये रखे जाने हेतु पाबंद करने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.03.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रथम अपील इस न्यायालय मे मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर

की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की।

5. अधिवक्ता अपीलांट की ओर से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षमा किये जाने का निवेदन किया है।

6. हमने प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया। अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपीलांट को नहीं दी गई तथा कोरोना महामारी के चलते लोकडाउन होने के कारण अपील पेश नहीं कर पाया। प्रार्थना–पत्र मे अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित मे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील मे हुई देरी को कण्डोन किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय संचिका के सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से हर हाल में निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलान्ट वर्तमान में विवादित आराजी का रिर्कोडेड खातेदार है और अपीलान्ट सम्वत् 2072 से 2075 में भी खातेदार रहा है। अपीलांट अपने पिता के जीवनकाल से ही उक्त भूमि में काबिज काश्त चला आ रहा है तथा करता पिलाई भी अपीलान्ट ही जमा करवाता है। उक्त भूमि उसके पिता द्वारा ही काश्त योग्य बनाई (फाड़ी) गई थी और प्रार्थी रेस्पोडेन्ट इसके पूर्व के सम्वत् मे भी खातेदार नहीं रहे है। इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित कर अपीलान्ट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त कर लिया, जिसका कि उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त आराजी का रिकॉडेड खातेदारी अपीलान्ट है, आदेश मे भी दिया गया है कि खातेदार का ही उक्त भूमि पर कब्जा होने की उपधारणा की जाती है. इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश किये गये आंशिक रूप से स्वीकार किया जाने में त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया कि वादीगण न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से नही आये हैं और अपीलान्ट के अनपढ व गरीब होने का फायदा उठाकर उसकी भूमि को हडप करना चाहते है तथा जबरन कब्जा कर काश्त करना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा कब्जे से सम्बंधित महज शपथ पत्र पेश कर देने को ही न्यायालय ने सही

को ही न्यायालय ने सही मानकर तथा उस पर विश्वास कर आदेश पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय को कब्जे के सम्बन्ध में पटवारी से मौके की रिपोर्ट मंगवाई जानी चाहिये थी, उसके बाद ही कोई आदेश पारित किया जाना चाहिए था। परन्तु शपथ पत्रों के आधार पर आदेश पारित कर गम्भीर त्रुटि कारित ही है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि जिस भूमि का रेस्पोडेन्ट द्वारा मोहनलाल पुत्र किशनलाल की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी फोती नामांतरण 487 दिनांक 20.07.2015 को उसके वारिसान रेस्पोडेन्ट क्र म–2 लगायत 6 का नाम दर्ज होना बताया गया है, जो बिल्कुल असत्य है। क्योकि 2015 में उक्त भूमि अपीलान्ट के खाते दर्ज रही है। रेस्पोडेन्ट द्वारा कहा गया है कि उक्त विवादित आराजी उनके संयुक्त खाते में दर्ज रही है। सम्वत् 2072 से 2075 में ही उक्त भूमि अपीलान्ट के खाते दर्ज हो चुकी थी। जिस इन्तकाल के आधार पर अपीलान्ट की रिलिज डीड के आधार पर खुलने का उल्लेख किया गया है वह नामांतरण नम्बर 285 रेस्पोडेन्ट की भूमि पर दर्ज ना होकर अन्य भूमि जो पूर्व में अपीलान्ट के पिता के खाते दर्ज थी, उसमे नामांतरण संख्या 285 से दर्ज हुई है, क्योकि दोनो ही भूमियों के खसरा नम्बर पृथक–पृथक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी तथ्यों का गौर ना कर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है। जो हर हाल मे निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि उनके द्वारा स्वयं आदेश मे ही उल्लेख किया है कि उक्त प्रकरण का मेरिट पर साक्ष्य लिये जाकर निपटारा किया जाना चाहिए, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने आगे खुद के ही आदेश में उक्त प्रकरण को मेरिट पर बिना साक्ष्य के इसी आदेश में मेरिट के आधार पर निर्णय को होना बता दिया है, जबकि यह साक्ष्य का विषय है कि दोनो पक्षो की सहादत के बाद ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है. तथा किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का खुद का आदेश ही विरोधाभास होने से त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर तथा रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क लिया जाकर कि अपीलान्ट बतावे कि भूमि उसके पास कहा से आई, जबकि वास्तविकता यह है कि वादी प्रार्थीगण को स्वयं अपने पेरो पर दावा लाना होता है और स्वयं को ही साबित करना होता है ना कि प्रतिवादी को और वादी प्रार्थीगण का दायित्व है कि वह अपने दावे को शहादत से साबित करे परन्तु इन सभी तथ्यो को नजर अंदाज करते हुए उक्त आदेश पारित कर दिया गया, जो हर हाल मे निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट विवादित भूमि का रिकॉडेड खातेदार है, रिर्कोडेड खातेदार होने के कारण उसे उक्त भूमि से सम्बन्धित सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, जबकि रेस्पोडेन्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह अपीलान्ट के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करे। इसलिये रेस्पोडेन्टगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं है, ना ही सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में है और ना ही उनको किसी प्रकार की कोई क्षति होने वाली है। बल्कि अपीलान्ट को रिर्कोडेड खातेदार होते हुए एवं कब्जा होते हुए भी अपूर्णीय क्षति होगी, उक्त आदेश की आड़ मे कभी भी अपीलान्ट को उक्त भूमि से बेदखल किया जा सकता है इसलिए उक्त त्रुटिपूर्ण आदेश निरस्त किया जाना आवश्यक है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 14.09.2018 भागीरथ बनाम

रामचन्द्र वगै0 पेज 565 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.03.2021 को निरस्त किये जाने के लिए निवेदन किया।

8. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थी रेस्पोन्डेन्टगण के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की खसरा नं. 573 की रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 574 की रकबा 0.50 है0 कुल किता 2 की 0.55 है0 0.55 है0 कृषि भूमि स्थित है जो कि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति है। जिस पर प्रार्थी रेस्पोन्डेन्टगण बहैसियत मालिक काबिज चले आ रहे है। तथा भूमि के राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 मे उक्त भूमि प्रार्थी रेस्पोन्डेन्टगण के खाते दर्ज रही है। जिसमे से सहखातेदार मोहन पुत्र किशनलाल की मृत्यु हो जाने के बाद उसका फौती नामान्तरण 487 दिनांक 20.07.2015 के आधार पर उसके वारिसान प्रार्थी रेस्पोन्डेन्टगण कम 2 लगायत 6 का नाम दर्ज किया गया था। उपरोक्त भूमि बदस्तूर प्रार्थी रेस्पोन्डेन्टगण के संयुक्त खाते में दर्ज रही है। उक्त भूमि को प्रार्थी रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा किसी दीगर व्यक्ति को रहन अथवा बैय या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित नही किया गया है। और हल्का पटवारी ग्राम निमाना पटवार हल्का पीपाखेडी द्वारा राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 में प्रार्थी रेस्पोन्डेन्टगण के संयुक्त खाते मे दर्ज रही खसरा नं. 573 की 0.05 है0, खसरा नं. 574 की रकबा 0.50 है0 कुल किता 2 की रकबा 0.55 है0 भूमि के राजस्व अभिलेख खतौनी जमाबंदी की नकल खाता संख्या नई 277 पुरानी 93 जो हल्का पटवारी ग्राम निमाना पटवार हल्का पीपाखेडी द्वारा जारी की गई है एवं कम्प्यूटराईज्ड राजस्व अभिलेख खतौनी जमाबंदी खाता संख्या नया 297 पुराना 277 मे भूमि के काश्तकार के नाम के कॉलम में प्रार्थी रेस्पोन्डेन्टगण के नाम के स्थान पर रामसिंह पुत्र मगना जाति भील ठाकुर सा. देह नामा. नं. 285 दर्ज कर दिया है। हल्का पटवारी ने त्रुटिवश प्रार्थीगण को उनकी भूमि के राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 में प्रार्थीगण का नाम हटाकर प्रार्थी रेस्पोन्डेन्टगण के नाम के स्थान पर रामसिंह पुत्र मगना जाति भील ठाकुर का नाम दर्ज कर दिया जिससे उक्त भूमि राजस्व कर्मचारीयो की त्रुटिवश रामसिंह पुत्र मगना भील ठाकुर के नाम पर दर्ज हो गई है जो कि त्रुटिपूर्ण अभिलेख है। तथा नामान्तरण नं. 285 ग्राम निमाना किसी प्रकार के विक्रय पत्र का नामान्तरण नही होकर उक्त नामान्तरण अप्रार्थी अपीलांट कम 1 के हक मे उसके भाई व बहनो द्वारा उनके संयुक्त खाते की खसरा नं. 726, 727, 728 की कुल किता 3 की रकबा 1.30 है0 भूमि मे दर्ज रहे उनके नाम के पंजीकृत हक त्याग पत्र का नामान्तरण दर्ज कर स्वीकृत किया गया था। उक्त नामान्तरण के आधार पर अप्रार्थी अपीलांट कम 1 के हक में प्रार्थी रेस्पोन्डेन्टगण के संयुक्त खाते की भूमि अप्रार्थी अपीलांट कम 1 के नाम दर्ज कर दी गई है। उसके बाद अप्रार्थी अपीलांट कम 1 द्वारा उक्त भूमि को विक्रय भी किया जा चुका है। यह कि हल्का पटवारी राजस्व कर्मचारीयों की लापरवाही की वजह से ग्राम निमाना का राजस्व अभिलेख संवत् 2072 से 2075 त्रुटिपूर्ण हो चुका है जिसकी वजह से प्रार्थी रेस्पोन्डेन्टगण उनके खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि के खातेदारी अधिकारो से वंचित हो गये है उनकी खातेदारी भूमि को राजस्व

कर्मचारीयों द्वारा लापरवाही पूर्वक दीगर व्यक्ति अप्रार्थी अपीलांट कम 1 के खाते दर्ज कर दी गई है। तथा उपरोक्त त्रुटिपूर्ण राजस्व अभिलेख का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी अपीलांट कम 1 बाद पत्र की मद नं. 1 मे वर्णित प्रार्थी रेस्पोन्डेन्टगण के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि को दीगर व्यक्तियो को विक्रय या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है जिसका अप्रार्थी अपीलांट कम 1 को कोई अधिकार प्राप्त नही है। अन्त मे अपील अपीलांट खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.03.2021 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे नकल जमाबंदी सम्वत 2073 से 2075 मे खसरा नम्बर 573 व 574 रामसिंह पुत्र मगना जाति भील ठाकुर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, तथा इसी जमाबंदी मे कृषक के विवरण के साथ नामान्तरकरण संख्या 285 अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न नामान्तरकरण संख्या 285 दिनांक 05.08.2011 मे खसरा नम्बर 726 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 727 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 728 रकबा 1.28 कुल किता 3 कुल रकबा 1.30 हैक्टेयर भूमि रामसिंह पुत्र मगना के पक्ष मे पंजीकृत हक त्याग का नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ। इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 285 से पंजीकृत हक–त्याग संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 726, 727 व 728 से संबंधित प्रतीत होता है, हालांकि इसका अंतिम निर्धारण मूलवाद के निस्तारण के समय होगा। जबकि पत्रावली मे उपलब्ध सम्वत् 2004 से 2024 की नकल जमाबंदी खसरा नम्बर 573 की 0.05 हैक्टेयर भूमि तथा खसरा नम्बर 574 की 0.50 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.55 हैक्टेयर भूमि देवीलाल, मोहन, मदन पुत्र किशनलाल, चुन्नीबाई सोहनबाई पुत्रियां किशनलाल जाति भील ठाकुर की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है, हालांकि इस विवाद बिन्दु का अंतिम निर्धारण मूलवाद मे साक्ष्यों, गवाहों के उपरांत अंतिम निर्णय मे होगा। अपील की बिन्दु संख्या 2 मे अंकित किया है तथा बहस में कथन किया है कि, अपीलांट नकल जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 के अनुसार खसरा नम्बर 573 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 574 रकबा 0.50 कुल किता 2 कुल रकबा 0.55 हैक्टेयर भूमि पर रिकॉर्डेड खातेदार एवं कब्जा काश्त है। परन्तु उक्त भूमि किन आधार दस्तावेजों से अपीलांट के खाते दर्ज हुई है, यह स्पष्ट करने मे अप्रार्थी अपीलांट असफल रहा है। जबकि उक्त खाते पर नोट नामान्तरकरण 285 के अनुसार संबंधित नामान्तरकरण जरिये हक–त्याग दर्ज हुआ है जिसमे पृथक खसरा नम्बर 726, 727, 728 किता 3 कुल रकबा 1.30 हैक्टेयर भूमि से संबंधित है ना कि खसरा नम्बर 573 व 574 के संबंध मे। अपील के बिन्दु संख्या 4 मे अंकित किया है कि फोती इन्तकाल संख्या 487 दिनांक 20.07.2015 जिससे अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 के नाम दर्ज हुए है, जो सही प्रतीत नहीं होता। क्योंकि 2015 मे उक्त भूमि अपीलांट के खाते दर्ज रही है। जबकि पत्रावली मे उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत 2068 से 2071 के अनुसार खसरा नम्बर 573 व 574 की कुल 0.55 हैक्टेयर भूमि

देवीलाल, मोहन, मदन पुत्र किशनलाल, चुन्नीबाई सोहनबाई पुत्रियां किशनलाल जाति भील ठाकुर की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त जमाबंदी पर अंकित नोट के अनुसार भ नामान्तरकरण संख्या 487 दिनांक 20.07.2015 से मृतक मोहन के स्थान पर कालूलाल रोशनलाल, प्रेमचन्द पुत्र राधाबाई पुत्री सरदार बाई पत्नी स्व. मोहनलाल का नाम दर्ज होना अंकित है। उक्त जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071 अर्थात वर्ष 2012 से 2015 के मध्य की है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि वह वर्ष 2015 के पूर्व से ही विवादित आराजी खसरा नम्बर 573 व 574 पर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड रहा हो। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या प्रकरण अपीलांट के पक्ष मे नहीं होकर रेस्पोडेन्टगण के पक्ष मे साबित होता है। यदि विवादित भूमि को अपीलांट रहन, विकय, अंतरण आदि करता है तो रेस्पोडेन्टगण को असुविधा होगी तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी अपीलांट के पक्ष मे नहीं होकर तुलनात्मक रूप से रेस्पोडेन्ट के पक्ष मे प्रतीत होता है। प्रकरण मे अप्रार्थी अपीलांट तथा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार के संबंध मे विनिश्चय, सम्यक साक्ष्यों, विधि अनुसार परीक्षण उपरांत मूलवाद मे तय किया जाना है, तब तक विवादित भूमि को संरक्षित किया जाना उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.03.2021 से हम पूर्णतः सहमत है तथा इसमे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के प्रकरण संख्या 60/2020 मे पारित निर्णय दिनांक 05.03.2021 यथावत रखा जाता है।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 26.06.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी ,कोटा